न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

	मु०नं० 25/16 तारीख रजू. 30.5.16 उनवान – हँसराज बनाम श्योजी वगै० वौंल प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी की ओर से श्री दिलावरसिंह Adv. ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस से तलब कर दिनांक 6.6.16 को पेश हो। उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)	1280-87 30.5.16
6.6.16	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी 1, 2, 4, 7 की ओर से वकालतनामा लघर अप्रार्थी नं. 3, 5, 6, 8 की ओर से मीणो श्री मनोज कुमार शर्मा Adv. ने पेश किया। वास्ते जवाब व वकालतनामा पेश करने दिनांक 8.6.16 को पेश हो।	
8.6.16	वकलाप उपन प्रार्थी वकील ने प्र०पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अप्रपक्ष को मौके की यथास्थिति बनाये रखने का कथन किया। वकील	

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभी

दिनांक	फर्द अहकाम
	व० अप्रार्थी ने पाबन्द किये जाने का एतराज करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि खातेदारी की भूमि है लटाखातेदार को पाबंद नहीं किया जावे। वकील अप्रपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित भूमि पर मौके की यथास्थिति बनाये रखने वास्ते आगामी सुनवाई तिथी तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रपक्ष को पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।
	अत: अप्रपक्ष को विवादित आराजीयात ग्राम बौल की भूमि ख०नं० 1802/0.08, 1803/0.16, 1804/0.20, 1805/0.12, 1806/0.04, 1807/0.07, 1861/0.28, 1862/0.10, 1863/0.20, 1864/0.22, 1865/0.13, 1866/0.09 कुल किता 12 कुल रकबा 1.67 हे० पर आगामी सुनवाई तिथी तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है। वास्ते जवाब व वकालतनामा पेश करने पत्रावली दिनांक 11.7.16 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

क्र		
28.8.16	उपरत पेशी से पेश हुई। वकुलाय उप०। पेशकाने जवाब एवं वकालतनामा एक मौका और चाहा। दिया गया। वास्ते जवाब व वकालतनामा पेश करने दिनांक 7.9.16 को पेश हो	
7.9.16	वकुलाय उप०। गतानुसार वकालतनामा व जवाब पेश करने दिनांक 5.10.16 को पेश हो	
5.10.16	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी करौली मिटिंग में पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 8-11-16 को पेश हो।	
8.11.16	वकुलाय उप। पेश करने वकालतनामा व जवाब दिनांक 5.12.16 को पेश हो	
5/12/16	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी करौली पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 4-1-17 को पेश हो।	
4.1.17	वकुलाय उप०। पेश करने वकालतनामा एवं जवाब न्याय हित में एक मौका दिया जाता है। दिनांक 18.1.17 को पेश हो।	
18/1/17	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी करौली मीटिंग में है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 15-2-17 को पेश हो।	
15/2/17	...य उपस्थित/पीठासन अधिकारी मीटिंग में पधारे ...तानुसार दिनांक 28-2-17 को ...	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
28.2.17	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 27.3.17 को पेश हो।
27.3.17	प्रार्थी वकील उप./ अप्रार्थी वकील उपस्थित नहीं है कई बार आवाज दिलाई फिर भी अप्रार्थी वकील व अप्रार्थीगण मे से कोई भी उपस्थित नहीं है अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है वास्ते बहस दिनांक 19.4.17 को पेश हो।
19.4.17	प्रार्थी वकील उपस्थित / बहस सुनी गई/ प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दिनांक 8.6.16 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को दावा के फैसला होने तक कन्फर्म किये जाने का निवेदन किया / बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया / दिनांक 8.6.16 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होने से दावा फैसला होने तक T.I. कन्फर्म की जाती है गैरसायलान को ता दावा फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम बौंल की भूमि ख. नं. 1802/0.08, 1803/0.16, 1804/0.20, 1805/0.12, 1806/0.04, 1807/0.07, 1861/0.26, 1862/0.10, 1863/0.20, 1864/0.22, 1865/0.13, 1866/0.09 कुल किता 12 कुल रकबा 1.67 है0 मे सायलान के हिस्सा के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नहीं करे / सायलान को बेदखल नहीं करे / रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे / पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे। उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner